तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/6/18	माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार तहसीलदार-हनुमानगढ़ द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प नई ... में मौका निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट मय मौका पेश की जा चुकी है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार-हनुमानगढ़ परत-पर तहरीर के आधार पर प्रार्थीया सिमरो कौर का प्र. पत्र स्वीकार कर चक 42 NGC के ख.नं. 146/254 (20) कि.नं. 23 के उत्तरी सीम पर 1½ बिसवा रास्ता स्वीकृत किया जाता है उक्त रास्ता भूमि की एवज में प्रार्थीया द्वारा किला नम्बर 23 के दक्षिणी भूमि कि.नं. 24 में अप्रार्थी को दी जावेगी, उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन हेतु T.D.R. HMH को लिखा जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

ठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 97 / 2016

सिमरो कौर पुत्री आसा सिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। -प्रार्थीया

बनाम

अशकर अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
सुबा सादक पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
गुलाब अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
नवाब अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. मुराद अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. ऐश अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. नारो बीबी (फौत)
7/1 रसूलां बीबी पत्नि मुश्ताक अली (पुत्री नारो बीबी) जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7/2 साबर अली पुत्र गुलाब अली (पुत्र नारो बीबी) जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7/3 अकबर अली पुत्र गुलाब अली (पुत्र नारो बीबी) जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. गुलजारा पुत्री अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. बाईया पुत्री अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. गुलाब अली पुत्र शरी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करने बाबत
अन्तर्गत धारा 251-ए आरटीए

उपस्थित :-

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — प्रार्थीया
2. श्री योगेश झोरड अधिवक्ता — अप्रार्थीगण सं. 5 व 6

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय — दिनांक :- 23/1/17

प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ पेश किया कि चक 42 एनजीसी खाता सं. 30/28 प.न. 146/254 मु.न. 20 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 प.न. 144/256 मु.न. 28 कि.न. 6, 15, 16, 25 कुल 2.530 है0 भूमि सयुक्त खाता मे प्रार्थीया के नाम 1.180 है0 मय गै.मु. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इसी चक के खाता सं. 81/81 प.न. 146/254 मु.न. 20 कि.न. 17 प्रार्थीया की एकल खातेदारी है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 10 के नाम संयुक्त खाता मे वाके चक 42 एनजीसी खाता सं. 45/46 प.न. 146/254 मु.न. 20 कि.न. 13/1 मे 0.127 है0, 14/1 मे 0.126 है0, 18, 23 कुल 0.759 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीया को संयुक्त खाता मे सहकाश्तकारान के साथ घरूबंटवारा मे चक 42 एनजीसी खाता सं. 30/28 प.न. 146/254 मु.न. 20 कि.न. 5, 6, 15, 16, 24, 25 प्रार्थीया के कब्जा काश्त मे है तथा प्रार्थीया प.न. 146/254 मु.न. 20 कि.न. 17 की एकल खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया की चक 42 एनजीसी प.न. 146/254 कि.न. 5, 6, 15, 16, 24, 25 की कब्जा काश्त की आराजी भूमि मे आवागमन हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है। प्रार्थीया चक 42 एनजीसी खाता सं. 45/46 प.न. 146/254 कि.न. 23 के दक्षिण सींव पर पूर्व से पश्चिम या कि.न. 18 के उत्तरी सींव पर पूर्व से पश्चिम 1½ बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है इसके बदले मे प्रार्थीया रास्ता की भूमि के बदले मे अपनी खातेदारी भूमि मे अप्रार्थीगण को भूमि देने या नगद राशि जो न्यायालय उचित समझे अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 42 एनजीसी खाता सं. 45/46 प.न. 146/254 कि.न. 23 के दक्षिण सींव पर पूर्व से पश्चिम या कि.न. 18 के उत्तरी सींव पर पूर्व से पश्चिम 1½ बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 5 व 6 की ओर से श्री योगेश झोरड़ विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। शेष अप्रार्थीगण बाद तामील उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। तहसीलदार हनुमानगढ़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गई।

तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट मे निवेदन किया गया कि चक 42 एनजीसी मे खाता सं. 30 मे आसफ अली फै मोहम्मद पि0 कादरबक्श 0.135 है0, पनामाबीबी पत्नी अली मोहम्मद 0.067 है0, अजयकुमार वल्द रामचन्द, सुरेन्द्र कुमार वल्द हरीराम 0.136 है0 जाति जाट, सिमरो कौर पत्री आसासिंह

Scanned by CamScanner

1.18 है० कौम जटसिख, जगदेव सिंह, धनदेव सिंह पि. कौर सिंह 1.012 है० जटसिख सा० गाहडू, काश्तकार के नाम प.न. 146/254 मु.न. 20 कि.न. 5, 6, 15, 16, 24, 25, प.न. 144/256 मु.न. 28 कि.न. 6, 15, 16, 25 कुल 2.530 है० भूमि दर्ज रिकार्ड है तथा खाता सं. 81 मे सिमरो कौर पुत्री आशासिंह कौम जटसिख सा० तलवाडा झील के नाम प.न. 146/254 मु.न. 20 कि.न. 17/0.253 है० स्वाबी दर्ज है तथा खाता सं. 45 मे अशकर अली, सुखा सादक गुलाब अली, नवाब अली मुरादअली, ऐश अली पि. अहमददीन, रसूलबीबी, गुलजारा बीबी, बाईया पुत्रीया अहमददीन 0.190 है०, नवाब अली मुरादअली ऐश अली पि. अहमददीन के नाम 0.569 है० भूमि दर्ज रिकार्ड है। आवेदन के कब्जा काश्त मे प.न. 146/254 मु.न. 20 कि.न. 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25 मे आने जाने हेतु रास्ता नही है, प्रार्थी सिमरोकौर को रास्ते की आवश्यकता है, मांगे गए रास्ता मे आवेदन ने प.न. 146/254 मु.न. 20 कि.न. 23 की उत्तरी सींव पर 1½ बिस्वा रास्ता मौका पर मांगा गया जिसमे कोई पेड़, मकान, खाला आदि नही है, रास्ता का अन्य कोई विकल्प नही है तथा रास्ता नियमानुसार कार्यवाही कर दिया जाना उचित है।

पत्रावली पर उभय पक्षो की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण सं. 5 व 6 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तहसीलदार हनुमानगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिये जाने का तथा रास्ता भूमि के ऐवज मे भूमि दिये जाने पर रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार हनुमानगढ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि आवागमन हेतु रास्ता बाबत निवेदन किया गया है। चूंकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए रास्ते की आवश्यकता है तथा प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ता मे कोई पेड़, मकान, खाला आदि आधारभूत ढांचा नही है एवं उक्त रास्त के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है, जो तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट से साबित होता है तथा प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को रास्ता भूमि के ऐवज मे भूमि पर दिये जाने पर रास्ता स्वीकृत करने अप्रार्थीगण द्वारा सहमति दी गई है। इस प्रकार प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार हनुमानगढ की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए रास्ता की सुविधा को देखते हुए न्यायहित मे रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए स्वीकार किया जाकर चक 42 एनजीसी खाता सं. 45/46 प.न. 146/254 कि.न. 23 के दक्षिण सींव पर पूर्व से पश्चिम 1½ बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को रास्ते भूमि के ऐवज मे चक 42 एनजीसी के खाता सं. 81/81 प.न. 146/254 मु.न. 20 कि.न. 17 मे से 1½ बिस्वा उत्तर से दक्षिण पश्चिमी सींव पर भूमि दिये जाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अकन किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/11/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संशोधित आदेश

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

ठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

करण संख्या :— 97/2016

र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए आरटीए

सिमरो कौर पुत्री आसा सिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——प्रार्थीया

बनाम

अशकर अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

सुबा सादक पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

गुलाब अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

नवाब अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

मुराद अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

ऐश अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

नारो बीबी (फौत)

/1 रसूलां बीबी पत्नि मुस्ताक अली (पुत्री नारो बीबी) जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

/2 साबर अली पुत्र गुलाब अली (पुत्र नारो बीबी) जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

/3 अकबर अली पुत्र गुलाब अली (पुत्र नारो बीबी) जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

गुलजारा पुत्री अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

बाईया पुत्री अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

. गुलाब अली पुत्र शरी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण

निर्णय आवेदन अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी

दिनांक : 01/2/17

आदेश

उक्त प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 23.01.2017 के संबंध प्रार्थीया द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 51 व 152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण मे दिनांक 23.01.2017 को निर्णय पारित चुका है। मुताबिक निर्णय वाके चक 42 एनजीसी खाता सं. 45/46 प.न. 146/254 कि.न. 23 के क्षिण सींव पर पूर्व से पश्चिम 1½ बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। पत्रावली मे माननीय न्यायालय हसीलदार राजस्व हनुमानगढ से मौका की जांच कर रिपोर्ट मंगवाई गई थी। मुताबिक पटवारी हल्का पोर्ट वाके चक 42 एनजीसी खाता सं. 45/46 के प.न. 146/254 कि.न. 23 के उत्तरी सींव पर रास्ता जूर किया जाना उचित बताया व इसी प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 5 व 6 ने भी मुताबिक पटवारी हल्का पोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किये का निवेदन किया, परन्तु निर्णय मे कि.न. 23 के दक्षिण सींव पर रास्ता जूर किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अनवान पत्रावली मे नांक 23.01.2017 को पारित निर्णय के पेज नं. 2 की लाईन सं. 28 मे कि.न. 23 के दक्षिण सींव के स्थान र संशोधन कर उत्तरी सींव दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

उक्त आवेदन पेश होने पर पत्रावली को पेशी पर लिया जाकर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना या। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आवेदन स्वीकार किया ाकर संशोधित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया तथा अधिवक्ता अप्रार्थीगण को आवेदन पर ापत्ति नही होने का कथन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थीया के आवेदन मे वर्णित तथ्यं प्रार्थीया के पक्ष मे ाबित होते है तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किये जाने पर सहमत है, क्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि होने के कारण संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया का आवेदन न्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 3.01.2017 मे संशोधन किया जाता है कि चक 42 एनजीसी खाता सं. 45/46 प.न. 146/254 कि.न. 23 दक्षिण सींव पर 1½ बिस्वा के स्थान पर चक 42 एनजीसी खाता सं. 45/46 प.न. 146/254 कि.न. 3 के उत्तरी सींव पर 1½ बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। निर्णय दिनांक 23.01.17 शेष प्रविष्टियां थावत रहेगी।

आदेश आज दिनांक 01/2/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/2/17

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner